

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-18/2020

जितेन्द्र कुमार मेहता उर्फ जितेन्द्र कुमार याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री प्रियदर्शी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए०पी०पी०।

02/13.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता बरही (पद्मा ओ०पी०) थाना काण्ड संख्या 12 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि शरारती तत्वों ने सूचक के ताक में थे जो उससे 47,430/- रुपये छीन लिया।

याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्त बच्चू कुमार मेहता के कबूलनामे पर फंसाया गया लगता है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा बी०ए० संख्या 9936/2019 में इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। याचिकाकर्ता 27.10.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्ता को 10,000/- (दस हजार) रूपये के जमानत बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग के संतुष्टि पर बरही (पद्मा ओपी0) थाना काण्ड संख्या 12/2019 में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)